

2026:AHC:53344

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9640/2026

मत्स्य जीवि सहकारी समिति लिमिटेड, खुरहंड

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: दीपक दुबे, जानेंद्र सिंह, हर्ष कुमार मिश्रा

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: अचल सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को रिट याचिका के प्रार्थना खंड में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगा गया मूल प्रतिकार यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उपजिलाधिकारी, तहसील-नरैनी, जनपद बांदा को निर्देशित किया जाए कि वह विज्ञापन संख्या 328 दिनांक 17.12.2005 के अनुसरण में नीलामी कार्यवाही को यथाशीघ्र पूर्ण करे।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त कार्यवाही को विधि के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण करे, बिना अनावश्यक स्थगन दिए, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026